

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जुलाई 2017—श्रावण 2, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2017

क्र. 18182-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०१७

## मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग ( संशोधन ) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ३ सन् १९९४), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) शब्द “चार अन्य सदस्यों” के स्थान पर, शब्द “चार अन्य सदस्यों तक” स्थापित किए जाएं;

(दो) पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परन्तु आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमाम्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है.”

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द “चार” का लोप किया जाए.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरपालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन में भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३ झ तथा २४३ म के अधीन एक वित्त आयोग के गठन हेतु प्रावधान.

२. वर्तमान में, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ३ सन् १९९४) की धारा ३ के अनुसार, राज्य वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे.

३. यह प्रस्तावित किया जाता है कि यदि कभी आयोग के अन्य सदस्यों की संख्या चार से कम है, तो आयोग का कार्य शून्य अथवा असफल नहीं होगा. अतः मूल अधिनियम की धारा ३ तथा ४ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

दिनांक १९ जुलाई, २०१७.

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.